बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–45 / 2022 - 1400 / पटना, दिनांक– 07/9/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04– 105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती हैः–

SL.No	Name of Division	Block	Projectt Id	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Danapur	Phulwari Shrif	10100203033	Fatehpur Pakki Road to Punpun Raksha Bandh Via Dhanki Mahmanu Road	2.560	138.590	24.426	13.859	176.875
2	Danapur	Phulwari Shrif	10100104004	Bagda Main Road to Chilbili	1.100	54.798	10.942	5.480	71.220
3	Danapur	Phulwari Shrif	10100202012	T08 to Simra	3.400	152.247	27.828	15.225	195.300
4	Danapur	Phulwari Shrif	10100102271	Soranpur Raksha Bandh to Adhpa Mirzapur	2.005	105.213	22.543	10.521	138.277
5	Danapur	Phulwari Shrif	10100102274	Tadwa to Suitha Gramin Path	1.460	75.235	17.539	7.523	100.297
6	Danapur	Phulwari Shrif	10100102244	Punpun Raksha Bandh to Madhopur Via Nihura	1.005	54.351	12.057	5.435	71.843
7	Danapur	Phulwari Shrif	1121895199	Seranpur Shiv Mandir to Mission Road via Chakmanjhi	3.300	179.821	33.634	17.982	231.437
8	Danapur	Phulwari Shrif	10100102139	Khagaul Naubatpur Path to Mahagupur	1.000	44.617	12.375	4.418	61.410
9	Danapur	Danapur	1121036200	Manas Bara Pul to Manas Basathpatti Tola	1.100	54.077	8.680	5.408	68.165
10	Danapur	Danapur	NEA22000916	Link Road of Panapur - Shankarpur to Gangahara Path	4.500	211.007	35.530	21.100	267.637
11	Danapur	Danapur	NEA22000919	Panapur to Manas Via Navdiyari	3.500	180.630	59.520	18.060	258.210
12	Danapur	Danapur	1121036202	Habaspur to Gangahara Noniya Tola	2.050	109.860	16.400	10.980	137.240
13	Danapur	Danapur	NEA22000921	Panapur to Shankarpur Via Harshamchak Madhopur	6.900	325.140	54.480	32.514	412.134
14	Danapur	Danapur	10100101050	Panapur to Kafarpur	2.100	101.865	16.570	10.186	128.621
15	Danapur	Maner	1121034283	NH-30 to Veyapur Anganbadi Kendra Tak	1.000	51.893	4.624	5.138	61.655
16	Danapur	Bihta	10100102152	Lai Bivahar Pur Berera to Mahuaar	1.320	102.659	15.860	10.265	128.784
17	Danapur	Bihta	1121035125	Bihta Shiwala Road to Sri Rampur Via Hospitals	1.550	88.587	15.217	8.850	112.654
18	Danapur	Bihta	10100102343	PWD Road to Dilwarpur Daulatpur Road tak	0.800	46.554	6.194	4.609	57.357
19	Danapur	Bihta	10100216036	Maner to Rambad (Rest of Part)	2.100	146.825	10.368	14.680	171.873
				Total	**42.750**				**2850.989**

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Scanned with CamScanner

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, दानापुर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–119/2021** में दिनांक 24.06.2022, एवं **मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–109/2021** में दिनांक 08.08.2022, को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 5.9.2022 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–45/2022 में** अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–1–45/2022 के पृ0– 20 /टि0 पर दिनांक–25/8/22 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

5/9/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–1–45/2022 - 1400 /पटना, दिनांक– 07/9/2022
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, **पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–4 (मु0)–3054–1–45/2022 - 1400 /पटना, दिनांक– 07/9/2022
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **पटना** /जिला पदाधिकारी, **पटना** / उप विकास आयुक्त, **पटना** /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–1** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **पटना** /संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **दानापुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/9/2022

विशेष सचिव

Scanned with CamScanner